संक्षेप में

वेदांत की कंपनी पर 127 करोड़ रुपये का जुर्माना

वेदांत लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को करीब 127 करोड़ रुपये तथा उस पर लागू विलंब भुगतान अधिभार चुकाने का निर्देश दिया गया है। वेदांत लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपील विद्युत अधिकरण (एप्टेल) के फैसले को निरस्त कर दिया और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के आदेश को बहाल कर दिया है। इस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 के लिए ग्रिड कोड के अनुसार उपलब्धता की गलत घोषणा के मामले में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने को लागू विलंब भुगतान अधिभार सहित बरकरार रखा है। *भाषा*

सन फार्मा का लाभ 26.2% बढ़ा

बीएस संवाददाता और भाषा
नई दिल्ली, 22 मई

दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 26.2 प्रतिशत बढ़कर 2,714.03 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में शुद्ध मुनाफा 2,149.88 करोड़ रुपये था। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय 14,611.79 करोड़ रुपये रही जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 12,958.84 करोड़ रुपये थी। कुल खर्च 9,955.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,518.95 करोड़ रुपये हो गया।

सन फार्मा के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 5 रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में पहले दिए गए 11 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इससे कुल लाभांश 2024-25 के बराबर 16 रुपये प्रति शेयर बैठता है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 11,479.42 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,929.04 करोड़ रुपये था। परिचालन आय 52,578.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 58,462.04 करोड़ रुपये हो गई।

टॉरंट फार्मा का शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत लुढ़का

दवा कंपनी टॉरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत घटकर 364 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 498 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। टॉरंट फार्मास्युटिकल्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कुल परिचालन आय बढ़कर 4,197 करोड़ रुपये रही, जो 2024-25 की समान तिमाही में 2,959 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी को असाधारण मदों पर 66 करोड़ रुपये का व्यय करना पड़ा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 9 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 2,138 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1,911 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन वित्त वर्ष में कंपनी की आय 13,980 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 11,516 करोड़ रुपये थी।

कोलगेट-पामोलिव इंडिया का शुद्ध लाभ रहा सपाट

कोलगेट-पामोलिव इंडिया का शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त तिमाही के दौरान 353.3 करोड़ रुपये पर लगभग सपाट रहा। ऐसा मुख्य रूप से जीएसटी सुधार से संबंधित उलट शुल्क ढांचे के कारण हुए शुल्क, समीक्षाधीन और आधार तिमाही में आयकर रिफंड पर ब्याज से संबंधित क्रेडिट तथा संगठनात्मक पुनर्गठन की लागत के कारण हुआ। एकमुश्त और असाधारण मदों को छोड़कर तिमाही के दौरान इसका शुद्ध मुनाफा 9 प्रतिशत बढ़ा।

ओरल केयर क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी का राजस्व बढ़कर 1,595.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक रहा। कंपनी का कहना है कि यह वृद्धि उसके मुख्य और प्रीमियम पोर्टफोलियो में व्यापक आधार पर रफ्तार बनाए रखने तथा मूल्य निर्धारण और बिक्री के बीच संतुलन के कारण हुई है। अपनी आय की विज्ञप्ति में कोलगेट पामोलिव (इंडिया) की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी प्रभा नरसिम्हन ने कहा, 'अहम बात यह है कि रणनीतिक प्रीमियम कारोबारों में हमारे तीव्र निवेश उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं, जो कंपनी की समूची वृद्धि से 3 गुना अधिक वृद्धि प्रदान है।'

रिलायंस पावर को हुआ 494 करोड़ रुपये का घाटा

रिलायंस पावर ने जनवरी-मार्च तिमाही में 494 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की समान तिमाही में 125.57 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय घटकर 1,946.33 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,065.64 करोड़ रुपये थी। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 में 336.89 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि 2024-25 में इसने 2,947.83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

खाड़ी संकट से उत्पादन और उपभोक्ता मांग पर असर नहीं : होंडा कार्स

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 22 मई

मौजूदा पश्चिम एशिया संकट से होंडा कार्स इंडिया (एचसीआईएल) के लिए आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन फिलहाल कंपनी के उत्पादन या भारतीय बाजार में उपभोक्ता मांग पर असर नहीं पड़ा है। एचसीआईएल के अध्यक्ष और मुख्य कार्याधिकारी ताकाशी नकाजिमा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इसके अलावा, नकाजिमा ने यहां नई होंडा सिटी और मजबूत हाइब्रिड एसयूवी होंडा जेडआर-वी लॉन्च करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि कंपनी ने अभी तक अपनी कारों पर ई25 या ई27 ईंधन का परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि ईंधन के नमूने उपलब्ध नहीं हैं।

इस समय भारत में ई20 ईंधन अनिवार्य है और यह देश भर के सभी पंपों पर बेचा जाता है। इस ईंधन में 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार एथेनॉल सामग्री को लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भारत अपनी खपत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। एथेनॉल का उत्पादन देश में ही गन्ने जैसे कृषि से जुड़े कच्चे माल से किया जाता है।

संघर्ष के असर के बारे में पूछने पर नकाजिमा ने कहा, 'हमें मांग में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है।'

होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यअधिकारी ताकाशी नकाजिमा का कहना है कि बेशक, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन उत्पादन के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया

उत्पादन के बारे में उन्होंने कहा कि अब तक स्थिति काबू में है। इस संघर्ष की वजह से कलपुर्जों की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति, माल ढुलाई की लागत और शिपिंग में देरी से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। नकाजिमा ने कहा, 'बेशक, कुछ मुश्किलें हैं। लेकिन उत्पादन के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है।' भारत के ई25 या ई27 जैसे ज्यादा अनिवार्य एथेनॉल मिश्रण संबंधित प्रस्तावित बदलाव पर होंडा ने कहा कि कंपनी ने अभी तक कोई असल टेस्टिंग नहीं की है, क्योंकि ईंधन के सैंपल अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। नकाजिमा ने यह भी कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से माइलेज पर बुरा असर पड़ सकता है।

इंडिगो को कोर्ट से राहत जीएसटी वसूली पर रोक

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 22 मई

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ शुक्रवार को जीएसटी मांग के विवाद में कर अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की जबरन वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला करीब 458 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग से जुड़ा है। न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति अजय दिग्पॉल के खंडपीठ ने प्रारंभिक चरण में पाया कि एयरलाइन द्वारा प्राप्त राशि जीएसटी कानून के तहत 'आपूर्ति' की श्रेणी में न आकर 'कंपनसेटरी' श्रेणी की प्रतीत होती है।

यह अंतरिम राहत उस मामले में मिली है जिसमें हाई कोर्ट इंडिगो की एक टैक्स मांग और उस पर लगाए गए उतने ही जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। यह विवाद एक विदेशी विमान इंजन निर्माता द्वारा किए गए उन भुगतानों से जुड़ा है, जो 2018-19 और 2019-20 के दौरान एयरलाइन को आपूर्ति किए गए कुछ इंजनों में कथित तौर पर खराबी आने के बाद किए गए थे। इस खराबी के कारण विमानों की उड़ान बंद करनी पड़ी थी। इंडिगो ने बताया कि आपूर्तिकर्ता ने बाद में उड़ान के घंटों में कमी और कारोबार में रुकावट से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट नोट जारी किए। हालांकि, कर विभाग ने इन भुगतान को एक टैक्सेबल सेवा के बदले मिली राशि माना। एयरलाइन की ओर से पेश अधिवक्ता वी लक्ष्मीकुमारन ने तर्क दिया कि ये भुगतान पूरी तरह से क्षतिपूर्ति स्वरूप के थे और इन्हें किसी भी सेवा के लिए भुगतान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

एलटीआईएम खरीदेगी रैंडस्टैंड का कारोबार!

अभीक दास
बेंगलूरु, 22 मई

एलटीआईएम ने रोजगार एजेंसी रैंडस्टैंड के यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में टेक्नॉलजी और कंसल्टिंग सर्विसेज के व्यवसाय को लगभग 16 करोड़ यूरो में खरीदने का प्रस्ताव किया है। इस कदम से इस मझोले आकार वाली आईटी सेवा कंपनी को एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और वित्तीय सेवा के क्षेत्रों में विस्तार में मदद मिलेगी।

यह सौदा एलटीआईएम को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के तेजी से बढ़ते कारोबारों में विस्तार करने में भी मदद करेगा। इससे डिजिटल इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में कंपनी की क्षमताएं और ज्यादा मजबूत होंगी।

एलटीआईएम के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक वेणु लांबू ने एक बयान में कहा, 'प्रस्तावित समझौता, एक ज्यादा मजबूत, विविध और संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की हमारी पांच-साल की रणनीति के अनुरूप है। हमारी

वैश्विक एआई-केंद्रित क्षमताओं को स्थानीय संदर्भ और उद्योग की गहरी समझ के साथ यह अधिग्रहण उन बाजारों में नियमों के अनुरूप, डोमेन-आधारित एआई सेवाएं और सॉवरिन समाधान देने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा, जो हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।'

अधिग्रहण वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। इस सौदे से एलटीआईएम की वैश्विक एआई क्षमताएं स्थानीय डोमेन में बढ़ेंगी और आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता बढ़ेगी। ग्राहकों को सॉवरिन, अनुकूल मॉडल में डिजिटल और एआई बदलाव प्रदान करने के लिए ये सेवाएं बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें रैंडस्टैंड के भारत वैश्विक क्षमता केंद्र के लिए एआई-सक्षम परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पांच-वर्षीय आईटी सेवा साझेदारी भी शामिल है।

जिन व्यवसायों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनका 2025 में कुल राजस्व 46.9 करोड़ यूरो था। उनके पास लगभग 2,900 बिल योग्य कर्मचारी हैं।

रैंडस्टैड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सैंडर वैन टी नूर्डेंडे ने कहा, 'प्रस्तावित समझौता हमारी 'पार्टनर फॉर टैलेंट' रणनीति की दिशा में सोचा-समझा कदम है। एलटीआईएम के साथ साझेदारी करके हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ग्राहकों को विश्व-स्तरीय सेवाएं लगातार मिलती रहें। साथ ही, हम अपने पोर्टफोलियो को भी सुव्यवस्थित करेंगे ताकि उन विकास-उन्मुख क्षेत्रों और डिजिटल मार्केटप्लेस में निवेश किया जा सके, जो सबसे अधिक विस्तार और मूल्य प्रदान करते हैं।'

AXIS BANK

रिटेल एसेट सेंटर– एक्सीस बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, जी–4/5, बी सेक्टर 4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उ.प्र. 226010पंजीकृत कार्यालय : ''त्रिशूल'', तीसला तल, समर्थेश्वर मंदिर लॉ गॉर्डन के सामने, एलीजब्रीज अहमदाबाद–380006

पुरशिष्ट IVA [देखें परंतुक नियम 8(6)]अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)(संशोधन)नियमों, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटरों(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता को गिरवी/बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को प्रत्याभूत ऋणदाता के उधारकर्ता(ओं और गारंटर(रों) से बकाया राशि (नीचे संदर्भित कॉलम में दर्शाया गया)की वसूली के लिए **''जो है जैसा है'', ''जो है जहां है'' और ''वहां जो कुछ भी है''** पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विररण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें। निम्नलिखित कॉलम में दर्शायी गई संबंधित संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और अग्रीम राशि जमा संबंधित उधारकर्ता(ओं और गारंटर(रों) से प्रत्याभूत ऋणदाता को वसूल की जाने वाली राशि (नीचे संबंधित कॉलम में दर्शाया गया) के लिए।

क्र. सं.	उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि बकाया देय (रू. में)
1.	**1.श्री दुरविजय सिंह** पुत्र श्री राधेश्याम निवासी 12220 वार्ड सं. 5, संसारपुर (पुसेना) भोनगांव, कुमार कोल्ड स्टोरेज के सामने मैनपुर, भोनगांव रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, 205001 **इसके अतिरिक्त :** श्री दुरविजय सिंह पुत्र श्री राधेश्याम निवासी आवासीय/व्यावासायिक संपत्ति निहित क्षेत्र 139.40 वर्ग मी, स्थित 1220 वार्ड सं. 5, संसारपुर (पुसेना) भोनगांव, कुमार कोल्ड स्टोरेज के सामने मैनपुर, भोनगांव रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, 205001, **2. श्रीमती उर्मिला देवी** पत्नी श्री राधेश्याम निवासी नागला खुरू, कजीहियाना, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश– 209602	**रु. 28,64,240/–** (रुपये अट्ठाईस लाख चौसठ हजार दौ सौ चालीस मात्र) और **रु. 2,86, 424/–** (रुपये दौ लाख छियासी हजार चार सौ चौबीस मात्र) **रु. 49,81,379.80/–** (रुपये उनचास लाख इक्यासी हजार तीन सौ उनयासी और अस्सी पैसा मात्र)

नीलामी दिनांक और समय : 09.06.2026 प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे | **बोली वृद्धि राशि :** रू.20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र)
बोली जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : 08.06.2026

संपत्ति का विवरण: आवासीय/व्यावासायिक संपत्ति निहित क्षेत्र 139.40 वर्ग मी, स्थित 1220 वार्ड सं. 5, संसारपुर (पुसेना) भोनगांव, कुमार कोल्ड स्टोरेज के सामने मैनपुर, भोनगांव रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, 205001, श्री दुरविजय सिंह के नाम का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, सीमांकन : पूर्व : ब्रह्मा नंद वर्मा का मकान, पश्चिम : पंडित जी का मकान, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : 20 फुट चौड़ा रास्ता

संपर्क व्यक्ति : श्री अभिषेक शर्मा, मोबाइल सं. +91 8077639704,Abhishek65.Sharma@bank.in

क्र. सं.	उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि बकाया देय (रू. में)
2.	**1. गौरी रस्तोगी** पत्नी अमित रस्तोगी निवासी 286, साहुकारा 1, बिलासपुर एयरटेल टॉवर के पास जिला रामपुर उ.प्र. 244921 **इसके अतिरिक्तः गौरी रस्तोगी** पत्नी अमित रस्तोगी निवासी म. सं. 9 इशवर कॉलोनी रामपुरा देहात रूद्रपुर यी.एस.नगर उत्तराखंड 263153, **2. ओम प्रकाश** पुत्र सुममेरी निवासी मकान सं. 11, कपनेरी सिलाी बारा गांव जिला रामपुर उ.प्र. 243701, **3. अशोक कुमार** पुत्र ओम प्रकाश निवासी म. सं..116, साहुकारा 1 बिलासपुर एयरटेल टॉवर के पास जिला रामपुर उ.प्र. 244921, **4. कुसुम रानी** पत्नी अशोक कुमार निवासी मकान सं. 286, साहुकारा 1बिलासपुर एयरटेल टॉवर के पास जिला रामपुर उ.प्र. 244921, **इसके अतिरिक्त :** कुसुम रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी म. सं. 9 इशवर कॉलोनी रामपुरा देहात रूद्रपुर यी.एस.नगर उत्तराखंड 263153, **इसके अतिरिक्त :** कुसुम रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी मोहल्ला शीरी मियां और साहुकारा वार्ड सं. 18, बिलासपुर जिला रामपुर उ.प्र. 244921	**रु. 18,97,176/–** (रुपये अट्ठारह लाख सितानबे हजार एक सौ छिहत्तर मात्र) और **रु. 1,89,717/–** (रुपये एक लाख नवासी हजार सात सौ सत्रह मात्र) **रु. 33,79,386.60/–** (रुपये तैंतीस लाख उनयासी हजार तीन सौ छियासी और साठ पैसा मात्र)

नीलामी दिनांक और समय : 09.06.2026 प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे | **बोली वृद्धि राशि :** रू.10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)
बोली जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : 08.06.2026

संपत्ति का विवरण: परिवर्तीत भूमि/ संपत्ति क्षेत्र 64.00 वर्ग मी, स्थित आवआसीय सह व्यावासायिक भवन, मोहल्ला शीरी मियां और साहुकारा वार्ड सं. 18, बिलासपुर जिला रामपुर उ.प्र. 244921, कुसुम देवी के नाम का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, नोट उक्त संपत्ति दौ अलग बिक्री विलेख द्वारा खरीद की गई– सीमांकन : पूर्व : राधे श्याम का मकान, पश्चिम : सड़क, उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण : शिव शंकर का मकान

क्र. सं.	उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि बकाया देय (रू. में)
3.	**1. मैसर्स ज़ोया टिम्बर** अपने मालिक के माध्यम राशिद हुसैन मारफत 321 मोहल्ला छिपीयान, लकड़ी मणड़ी, जसपुर, उध्यम सिंह नगर, उत्तरखंड– 244712, **2. राशिद हुसैन** पुत्र इसरार अहमद निवासी वार्ड सं. 12, मोहल्ला नई बस्ती, तहसील जसपुर, जिला उध्यम सिंह नगर, उत्तराखंड, –244712 **इसके अतिरिक्त :** राशिद हुसैन पुत्र इसरार अहमद निवासी321मोहल्ला छिपीयान, लकड़ी मणड़ी, जसपुर, उध्यम सिंह नगर, उत्तरखंड– 244712	**रु. 21,76,147/–** (रुपये इक्कीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) और **रु. 2,17,614/–** (रुपये दौ लाख सत्रह हजार छह सौ चौदह मात्र) **रु. 34,40,473/–** (रुपये चौंतीस लाख चालीस हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)

नीलामी दिनांक और समय : 09.06.2026 प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे | **बोली वृद्धि राशि :** रू.20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र)
बोली जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : 08.06.2026

संपत्ति का विवरण: परिवर्तीत भूमि/ संपत्ति क्षेत्र 71.37 वर्ग मी, स्थित वार्ड सं. 12, मोहल्ला नई बस्ती, तहसील जसपुर, जिला उध्यम सिंह नगर, उत्तराखंड, –244712, राशि हुसैन के नाम का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, सीमांकन : पूर्व : सड़क, पश्चिम : इकबाल हुसैन का मकान, उत्तर :जुबैदा बैगम का मकान, दक्षिण : सड़क

संपर्क व्यक्ति : श्री शेलेंद्र भटनागर, मोबाइल सं. +91 9718452808,Shailendra.Bhatnagar@bank.in

क्र. सं.	उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि बकाया देय (रू. में)
4.	**1. मैसर्स कृपा शंकर संदीप कुमार** मण्डी दानगंज, खुरजा, खुरजा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, 203131 अपने मालिक के माध्यम से श्रीमती मृदुला शर्मा और श्री संदीप कुमार मित्तल, **2.श्री संदीप कुमार मित्तल** पुत्र श्री राज कुमार मित्तल निवासी 157, मण्डी दानगंज, खुरजा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, 203131, इसके अतिरिक्त : श्री संदीप कुमार मित्तल पुत्र श्री राज कुमार मित्तल निवासी पुराना सं. 109 और 110, नया सं. 81,खुरजा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203131	**रु. 1,12,19,955/–** (रुपये एक करोड़ बारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ पचपन मात्र) और **रु. 11,21,955/–** (रुपये ग्यारह लाख इक्कीस हजार नौ सौ पचपन मात्र) **रु. 1,09,09,989.17/–** (रुपये एक करोड़ नौ लाख नौ हजार नौ सौ नवासी और सत्रह पैसा मात्र)

बोली वृद्धि राशि : रू.50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)
नीलामी दिनांक और समय : ई–नीलामी 06.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होगी
बोली जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : 08.06.2026

संपत्ति का विवरण: परिवर्तीत भूमि/ संपत्ति, आवासीय/व्यावासायिक कवर्ड क्षेत्र 85.00 वर्ग मी, पुराना सं. 109 और 110, नया सं. 81,खुरजा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203131, श्री संदीप कुमार मित्तल के नाम का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, सीमांकन : पूर्व : जय प्रकाश की दुकान, पश्चिम : नैन सुख की दुकान, उत्तर :25 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण : कुंदन लाल की दुकान

संपर्क व्यक्ति : श्री अभिषेक शर्मा, मोबाइल सं. +91 8077639704,Abhishek65.Sharma@bank.in

क्र. सं.	उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि बकाया देय (रू. में)
5.	**1. मैसर्स मैलानी फिलिंग स्टेशन** अपने साझेदार के माध्यम से श्रीमती मृदुला शर्मा और श्री अनमोल शर्मा पता मौलानी , मौलानी, मौलानी खेरी, लखीमपुर–262803, **2.श्रीमती मुदुला शर्मा** पत्नी श्री सुरेंद्र शर्मा निवासी ईदगाह, वार्ड सं. 12, मोलानी , खेरी, उत्तर प्रदेश–262803, **इसके अतिरिक्तः** श्रीमती मृदुला शर्मा पत्नी श्री सुरेंद्र शर्मा निवासी पुराना खसरा सं. 1105, नया खसरा सं. 1746 और 174 7,ग्राम /मोहल्ला– मैलानी, परगना/ वार्ड– कुकारा, तहसील– गोला, जिला– खेरी, उत्तर प्रदेश 262803, **3. श्री अनमोल शर्मा** पुत्र श्री सुरेंद्र शर्मा ईदगाह, वार्ड सं. 12, मोलानी , खेरी, उत्तर प्रदेश–262803, **इसके अतिरिक्तः** श्रीमती मृदुला शर्मा पत्नी श्री सुरेंद्र शर्मा निवासी पुराना खसरा सं. 1105, नया खसरा सं. 1746 और 174 7,ग्राम /मोहल्ला– मैलानी, परगना/ वार्ड– कुकारा, तहसील– गोला, जिला– खेरी, उत्तर प्रदेश 262803	**रु. 1,24,25,828/–** (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ अट्ठाईस मात्र) और **रु. 12,42,582/–** (रुपये बारह लाख बयासी हजार पांच सौ बयासी मात्र) **रु. 1,20,67,487.57/–** (रुपये एक करोड़ बीस लाख सड़सठ हजार चार सौ सत्तासी और सत्तावन पैसा मात्र)

बोली वृद्धि राशि : रू.50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)
नीलामी दिनांक और समय : ई–नीलामी 10.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होगी
बोली जमा करने की अंतिम दिनांक और समय : 09.06.2026

संपत्ति का विवरण: परिवर्तीत भूमि/ संपत्ति कवर्ड क्षेत्र 1735.40 वर्ग मी, स्थित पुराना खसरा सं. 1105, नया खसरा सं. 1746 और 1747, ग्राम /मोहल्ला– मैलानी, परगना/ वार्ड– कुकारा, तहसील– गोला, जिला– खेरी, उत्तर प्रदेश 262803, श्री अनमोल शर्मा और मृदुला शर्मा के नाम का संपूर्ण व सर्वां गीण भाग, सीमांकन : पूर्व : ताराचंद का खेत, पश्चिम : मैलानी रघुवर रोड, उत्तर : प्लॉट और पैट्रोल पंप, दक्षिण : किशन राईस मिल्स योगोश

संपर्क व्यक्ति : श्री शेलेंद्र भटनागर, मोबाइल सं. +91 9718452808,Shailendra.Bhatnagar@bank.in

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.axisbank.com/auction-retail लिंक देखें और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर।
ई–नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यह भी ध्यान दें कि उक्त बिक्री, यदि कोई हो, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन के परिणाम के अधीन हैं। किसी अन्य सहायता के लिए, इच्छुक बोलीदाताकार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बोली स्थानांतरित करने योग्य नहीं है। **बोली जमा करने का स्थान :– एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, जी–4/5 बी, सेक्टर–4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उ.प्र. 226010** निरीक्षण पूर्व निरीक्षण पूर्व निर्धारित नियुक्ति के अधीन होगा। 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के नाम पर डी.डी.पी.ओ.देय। **इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ताओं को 15 दिनों की सूचना के रूप में माना जाना चालिए।**

दिनांक : 23.05.2026, स्थान : लखनऊ — **प्राधिकृत अधिकारी, एक्सीस बैंक लिमिटेड**

BAJAJ FINANCE

बजाज फाइनैंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनैंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड आकुर्डी पुणे– 411035
शाखा पता : बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ अजय ऐंड कंपनी, शाहजहांपुर

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(परिशिष्ट–IV) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड (बीएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों) को **पंजीकृत डाक द्वारा मांग ("सूचना")** जारी की थीं, जिनमें उनसे उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिन** के भीतर करने की मांग की गई थी। निम्नवर्णित नामक कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों/बंधकदाताओं/ गारंटरों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर संविदात्मक दर पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। **कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

क्र. सं.	ऋण खाता सं./ कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) का नाम	सम्पत्ति का वर्णन सम्पत्ति की अनुसूची	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि सूचना राशि और कब्जा की तिथि
1	**लैनः P4C0PBL4197741 और P4C0PBL4197961** 1. **चतुर्वेदी ज्वैलर्स इसके स्वामी शशांक चतुर्वेदी** के माध्यम से निवासी मेन रोड कलां तहसील कलां शाहजहांपुर– 242127, संपर्कः 9455556788 **ईमेल आईडीः shashank.singh126@gmail.com** **अन्य पता :** निवासी आराजी नंबर 292, ग्राम रफियाबाद कलां, परगना जलालाबाद, तहसील कलां, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश– 242127 2. **शशांक चतुर्वेदी पुत्र संजीव कुमार चतुर्वेदी,** निवासी रफियाबाद कलां, जलालाबाद, शाहजहांपुर, आर बी कलां, उत्तर प्रदेश– 242127 संपर्कः 9455556788 **ईमेल आईडीः shashank.singh126@gmail.com** 3. **संजीव कुमार सी/ओ रामआसरे चतुर्वेदी** निवासी पाइप कॉलोनी के पास रफियाबाद कलां रफिया बाद कलां शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश 242221 संपर्कः 9455556788 **ईमेल आईडीः shashank.singh126@gmail.com**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आराजी नंबर 292, ग्राम रफियाबाद कलां, परगना जलालाबाद, तहसील कलां, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश– 242127, कॉमन एरियाज में यथानुपात हिस्सा (क्षेत्रफल परिमाप 140 वर्ग मीटर)। **निम्नानुसार सीमाबद्ध : पूरबः** प्रेमचंद का मकान; **पश्चिमः** रामेश्वर दयाल का मकान; **उत्तरः** सड़क; **दक्षिणः** ओम प्रकाश का खेत। **साइट विजिट के अनुसारः पूरबः** बी.के. गुप्ता पुत्र प्रेम चंद्र का मकान; **पश्चिमः** विनोद गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल का मकान; **उत्तरः** 40 फीट चौड़ी सड़क; **दक्षिणः** राम आसरे (ग्राहक) का मकान (ओम प्रकाश ने बेचा)	20–02–2026 रु. 20,85,400.18/– (रुपये बीस लाख पिचासी हजार चार सौ तथा पैसे अठारह मात्र) 21–05–2026 को दोपहर 12.30 बजे से अप. 01:30 बजे तक

तिथि : 22–05–2026 स्थान :– उत्तर प्रदेश — कृते बजाज फाइनैंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएण्डबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400059

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह–कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी।
कर्जदार/सह–कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर निम्नलिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।
कर्जदार/सह–कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदारों का नाम एवं पता तथा मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि	कब्जा सूचना में मांगी गयी राशि
1. पांडेय ट्रेडर्स 2.पवन कुमार पांडे 3.प्रियंका पांडेः पताः आराजी संख्या 385/1, मौजा–देवराख उपरहार, परगना–अरैल और तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद/प्रयागराज, पिनकोड–211009 की संपत्ति। ऋण खाता संख्या 4021060000256008–सी (पीआर01260290) मांग सूचना दिनांकः 19 फरवरी 2026	आराजी संख्या 385/1, मौजा–देवराख उपरहार, परगना–अराइल और तहसील–करछना, ज़िला–इलाहाबाद / प्रयागराज की पूरी संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 44.42 वर्ग मीटर है, पिनकोड–211 009 उपर्युक्त संपत्ति की सीमाएँ: – पूर्व की ओरः 8 फीट की गली, पश्चिम की ओरः दीपक मिश्रा का मकान, उत्तर की ओरः दीपक मिश्रा का मकान, दक्षिण की ओरः आराजी संख्या 385/1 का एक भाग। **सांकेतिक कब्जे की तिथिः 20 मई 2026**	**रू. 15,08,207/– (रुपये पंद्रह लाख आठ हजार दो सौ सात मात्र) दिनांक 09 जनवरी 2026 तक, तथा दिनांक 10 जनवरी 2026 से आगे का अप्रयुक्त ब्याज।**

प्रतिभूत सम्पत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 23.05.2026, स्थान : प्रयागराज/उत्तर प्रदेश — ह./– अधिकृत प्राधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
शाखा का पताः प्रथम तल, पदम टावर–2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर–208001, फोन : 0512–6680634
CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

सांकेतिक कब्जे का नोटिस

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी–मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक ब्यय, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया देयराशियां* (रू0)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	**श्री भूपेश कुमार द्वारा प्रोपाइटर मेसर्स अर्थव कन्सट्रक्सन**	**38,42,919/–** दिनांक 30.09.2025* तक	27.10.2025	22.05.2026	समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग युनिट/फ्लैट–101–ए, प्रथम तल, गुलमोहर एक्ओटिका, प्लाट नं0 2बी(2), न्यू आजाद नगर, जी.टी. रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः 124.02 वर्ग मी0**

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय,लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।
हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्द्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।
विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन **एचडीएफसी** के बन्धक के अधीन होगा।
कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 23.05.2026 — **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए**
स्थान : कानपुर — **प्राधिकृत अधिकारी**
पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई–400 020

GRIHUM

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा का पताः पहली मंजिल, पीछे की तरफ, 154–ए, ''ए स्क्वायर बिल्डिंग'', सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश– 243001

ई-नीलामी-बिक्री सूचना सरफेसी ऐक्ट के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रा) को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित अचल सम्पत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे अधिनियम के अनुसार "प्रतिभूत लेनदार" कही गई है) के पक्ष में बंधक रखी गई थीं। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार" पर दिनांक 08.06.2026 को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी का संचालन वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेंगे। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.grihumhousing.com देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	सम्पत्ति का विवरण (डी)	सुरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
1	ऋण संख्या **HF0100H21100356** मोहम्मद अकरम खान (उधारकर्ता) तबस्सुम जहान (सह उधारकर्ता)	नोटिस दिनांकः 11.11.2025 कुल बकायाः रु. 9,17,052/– (रु. नौ लाख सत्रह हजार बावन मात्र) 11.11.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.1% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	**भौतिक**	आवासीय भूखंड का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जोकि 247.15 वर्ग मीटर गांव उदाला जागीर, खसरा नं. 678, जिला बरेली सीमाएँ: पूर्वः मौजूदा सड़क, 15 फीट चौड़ी, विक्रेता की भूमि और राम चंद्र और अन्य के खेतों के साथ, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः सड़क, 15 फीट चौड़ी, शमीम शाह की भूमि के साथ मापः संलग्न मानचित्र और बिक्री विलेख के अनुसार	**रु. 9,00,000/- (रु. नौ लाख मात्र)**	**रु. 90,000/- (रु. नब्बे हजार मात्र)**	**06.06.2026 अप. 05 बजे से पूर्व**	**10,000/–**	**01.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)**	**08.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)**	**शून्य**

इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को ई–बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. पता – प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नं. – 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई–मेल आईडी Support@bankeauctuions.com सम्पर्क व्यक्ति धरणी पी ई–मेल आईडी dharani.p@c1india.com सम्पर्क नंबर – 9948182222 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के खाते में बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 091551000028 तथा IFSC कोड ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 में दिनांक 06.06.2026 तक अथवा पूर्व जमा करनी होगी तथा अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई–मेल करनी होंगी तथा स्व–सत्यापित भौतिक प्रतियां पता : पहली मंजिल, पीछे की तरफ, 154–ए, ''ए स्क्वायर बिल्डिंग'', सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश– 243001 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ईमेल आईडी p.adith@grihumhousing.com को प्रेषित करनी होंगी। नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं और ई–ऑक्शन में हिस्सा लें। इस नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को 30 दिन का नोटिस भी माना जाए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 23.06.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

लखनऊ संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा अमित कुमार, इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, बी-5, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. से मुद्रित एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेहरा बिजनेस चैंबर्स, चैंबर नंबर-8,19-सी2एन विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001 से प्रकाशित। संपर्क : 0522-4015981
संपादक : कैलाश नौटियाल पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. UPHIN/2008/25502 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं